

धारा-127. वसूल न की जाने वाली परिसम्पत्तियों का बट्टे खाते में डाला जाना- सहकारी समिति निबन्धक के पूर्व अनुमोदन से, ऐसी सम्पत्तियों को बट्टे खाते में डाल सकती है जो अशोध्य हों और वसूल न की जा सकती हो।